

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

दीवानी अधिकारी - मनोज आर.एस.

मुकदमा संख्या - 19/24 प्राप्त्र

1- लेख लाल जोशी भोंडा जाट निवासी-नाहरगढ़ तहसील-माण्डल [वर्ग 1]

-प्रार्थी

बनाम

1- ओमप्रकाश S/o श्री मोहनलाल जाट निवासी-नाहरगढ़ तहसील-माण्डल [वर्ग 1]  
(संबंधित प्राप्त्र संलग्न)

-विपक्षीय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.मू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 07-05-24

आदेश:-

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.मू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पीलीकारोडा पटवार हल्का लेखवा तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं 462, 463 कुल किता 02 रकबा 3.7560 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीय के मध्य आराजी मुतदायिदा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जायें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 02-02-24 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अदलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काशत काशत की होने से पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

आदेश:-

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.मू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम पीलीकारोडा पटवार हल्का लेखवा तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 462, 463 कुल किता 02 रकबा 3.7560 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षण लेखवा को 1600 रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की स्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जायें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढ़ी नहीं की जायें।



अधिकारी  
माण्डल

प्रतिनिधि:- तहसीलदार माण्डल को नेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर फालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी